

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 (NO F.15 (1) FD/RULES/2017 JAPUR-DATD 30.10.2017& 09.12.2017) के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (विभिन्न विषय)को राज्य सेवा में /वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 8 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि/राबा उमादि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	पद पर कार्यग्रहण तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स में लेवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शहाना परवीन,बा. मालपुरा टॉक	01.01.1969	उर्दू	21.12.1996	24.06.2015	डीपीसी 2013-14	20वर्ष	21.12.2016	9300-34800	5400

उक्त कार्मिको का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

(W/5)

(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

दिनांक:- 18-12-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....
2. संबंधित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी.....
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा.शि.....
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक...../.....
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फंजिका

शिविरा

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर